राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 69 / 06–07

05.12.2006 निदेशानुसार दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 05.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 आवेदक श्री भगवान झा उपस्थित थे। आयोग किसी संस्था की ओर से दिये गये आवेदन पत्र पर सामान्यतः विचार नहीं करता है। आवेदक ने अनुरोध किया कि उनके आवेदन पत्र को उनके द्वारा स्वयं दिया हुआ माना जाय। आवेदक ने यह भी बताया कि उनके द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को वांछित सूचना अनुरोध किया गया, परन्तु उन्हें किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी अतएव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, जिला–भोजपुर को निदेश दिया जाय कि वे आवेदक को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के बारे में सभी आवश्यक सूचना दें एवं इसकी सूचना आयोग को भी दी जाय। जिला पदाधिकारी, भोजपुर को निदेश दिया जाय कि वे अपने स्तर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी को अविलम्ब कार्रवाई करने के लिए निदेश दें।

पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी उपस्थित हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, बक्सर ने न तो मंतव्य भेजा है और न उपस्थित हैं। आयोग एक और मौका देते हुए अगली तारीख के पहले उन्हें अपना मंतव्य भेजने के लिए निदेशित करती है। यह आदेश उन्हें जिला पदाधिकारी, बक्सर के माध्यम से भी भेजी जाय और स्वतः भी भेजा जाय। वादी उपस्थित हैं। उन्हें अगली तारीख का ज्ञान है। पुनः सुनवाई के लिए दिनांक19.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न निर्घारित की जाती है।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त